बिहार सरकार,

लघु जल संसाधन विभाग।

पटना, दिनांक 11/06/19

पत्रांक– 126/प्र० सचिव (को०)

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद/
लखीसराय/पटना/ कैमूर

विषय– नलकूप संवेदकों के कार्य में ढिलाई बरतने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि आपके जिले में कतिपय नलकूप ऐसे हैं, जिसका Estimate 15 लाख से ज्यादा था। जिंसके लिए टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर मार्च के प्रथम सप्ताह में दिया गया था और स्पष्टतः जून माह के प्रथम सप्ताह में इसे पूरा किया जाना था।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके जिले के कार्य की समीक्षा की गयी और पाया गया कि आपके जिले में कई संवदकों ने नलकूप का काम प्रारम्भ किया ही नहीं या तो उसे पूरा नहीं किया है। साथ ही यह भी पाया गया कि आपने संवेदकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।

आप अवगत हैं कि एकरारनामा के अनुसार संवेदकों का यह काम जून माह के प्रथम सप्ताह में पूरा कर लेना था और संवेदकों द्वारा स्पष्टतः एकरारनामा की शर्त्तों का उल्लंघन किया गया। ऐसे में संवेदकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना आपकी संलिप्तता को दर्शाता है।

अतः आप पत्र प्राप्ति के दो दिनों के भीतर कारण पृच्छा दें, क्यों नहीं आपके ऊपर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

विश्वासभाजन

(के0के0 पाठक)
प्रधान सचिव।